**संख्याः /VII-A-2/2020/11 -सिडकुल/2016**

प्रेषक,

 मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग,

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,

पटेल नगर, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2 देहरादूनः दिनांकः 29 फरवरी, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत “विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान”

योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में उद्योग निदेशालय के पत्रांक-5207/उ0नि0(दो)-19 /बजट/सिडकुल/2019-20, दिनांक 18.02.2020 के क्रम में एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(I)/2019, दिनांक 29.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में “विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान”के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख में से द्वितीय चरण में धनराशि रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) संलग्न आवंटन आई0डी0 के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(i) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(ii) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड, बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः-254/3(150)-2017/XXVII(I) /2019, दिनांक 29.03.2019 में इंगित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

 शेष पृष्ठ 2 पर

-2-

(v) स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण, लाभार्थियों की सूची तथा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का जनपदवार विवरण माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा और लाभार्थियों के वेरिफिकेशन की समस्त जिम्मेदारी महानिदेशक, उद्योग की होगी तथा सभी लाभार्थियों की डिटेल बेवसाइट पर अपलोड की जायेगी।

(vi) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2020 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्श 2019-20 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखा शीर्षक-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-, 102-लघु उद्योग, 49-विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान की मानक मद-20-अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-916/XXVII(2)/2019-20, दिनांक 29 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

**पृष्ठाकंन संख्याः 163 (1)/VII-A-2/2020/11 -सिडकुल/2016 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेशितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक, राज्य अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास निगम लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।